राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1391/2011/भरतपुर
2. अपील संख्या 1494/2011/भरतपुर

मैसर्स शिव शंकर ऑयल इण्डस्ट्रीज, बयाना .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत प्रतिकरापवंचन, बयाना। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री जतिन हरजाई, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 05.03.2018

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील प्रकरणों में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किया गया, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या	अपी. आदेश दिनांक	कर निर्धा. आदेश		आरोपित		
			दिनांक	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1.	1391/11	11.02.2011	25.03.10	2007–08	13,86,710	2,08,007	27,73,420
2.	1494/11	31.05.2011	30.07.10	2006–07	9,78,171	2,20,088	19,56,343

2. उक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, भरतपुर द्वारा आलौच्य वर्षों में घोषित अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्र ''सी'' की जांच बिहार राज्य से करवाये जाने पर ये घोषणा पत्र क्रेता व्यवहारियों को विभाग से जारी होना नहीं पाया गया अर्थात व्यवसायी द्वारा घोषणा प्रारूप ''सी' मिथ्या एवं कूटरचित प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण स्थानान्तरित होने पर उसके द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 25, 26, 55 व 61 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 के तहत कर निर्धारण करते हुए दिनांक 30.07.2010 को व्यवसायी के विरूद्ध कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के

निरन्तर.....2

समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलार्थी की ओर विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया कि व्यवसायी द्वारा अन्य राज्य के पंजीकृत व्यवसायी को आगरा के प्रमुख दलाल के मार्फत माल का विक्रय किया गया जिसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त माल राजस्थान राज्य की ऊँचानगला चैकपोस्ट से पास हुआ एवं भेजे गये माल का इन्श्योरेंस भी माल प्राप्त करने वाले व्यवसायी तक किया गया। क्रेता व्यवसायी का टिन नं0 विक्रय बिल पर दर्ज किया गया। क्रेता व्यवसायी द्वारा "सी" फॉर्म्स पर अपने हस्ताक्षर व फर्म की सील अंकित की गई है, अतः इन सब तथ्यों से प्रमाणित है कि प्राप्त किये गये 'सी' फॉर्म्स हर तरह से पूर्ण थे, इनको मिथ्या व कूटरचित कहना अविधिक है। विक्रेता व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं बहियात में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई एवं क्रेता व्यवसाईयों के बयान भी दर्ज नहीं किये गये तथा केवल पूर्व की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया, जो उचित नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 133 STC(2003) 486 उद्धरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रेता व्यवसायी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर प्रदान नहीं किया तथा बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के पारित किया गया आदेश विधि विरूद्ध एवं अविधिक है। विक्रेता व्यवसायी द्वारा अन्य राज्य के पंजीकृत क्रेता व्यवसायी को माल बेचा गया एवं "सी" फॉर्म्स प्राप्त किये गये जिनमें समस्त संव्यवहार इन्द्राज किये गये थे, परन्तु फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज आरोपित कर दिया गया जो कि अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किये गये संव्यवहार विक्रय तिमाही बिक्री प्रपत्र व वार्षिक बिक्री प्रपत्र में दर्शाये हुए थे एवं किसी भी संव्यवहार को विभाग से छिपाया नहीं गया था बल्कि सद्भावी रूप से प्रत्येक संव्यवहार की घोषणा करते हुए उनके द्वारा प्राप्त घोषणा पत्रों को विभाग में प्रस्तुत किया गया था और उन्हीं के आधार पर उनका सत्यापन विभाग द्वारा करवाया गया था। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत किसी भी तरह की शास्ति आकर्षित नहीं होती है एवं इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी व्यवहारी द्वारा अपने संव्यवहारों को लेखा–पुस्तकों एवं विवरण–पत्रों से छिपाकर नहीं रखा गया है तो उस स्थिति में शास्ति का आरोपण अविधिक है, इस आधार पर आरोपित शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया।

निरन्तर.....3

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।
8. रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य वर्षों के प्रस्तुत किये गये "सी" फॉर्म्स का सत्यापन प्रत्यर्थी राजस्व द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न अंचलों से जहां से फार्म जारी किये गये, के कर निर्धारण अधिकारी स्तर से सत्यापन करवाया गया। बिहार राज्य से भी फॉर्म्स के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिनमें कुछ फॉर्म्स सत्यापित किये गये एवं कुछ फॉर्म्स असत्यापित पाये गये। अपीलार्थी द्वारा बिहार राज्य के व्यवहारियों को जो सरसों तेल का विक्रय किया गया था वह "सी" फॉर्म्स प्राप्त करने की शर्त पर 2 प्रतिशत कर चुकाकर किया गया परन्तु उक्त विक्रय के सम्बन्ध में जो "सी" फॉर्म्स प्रस्तुत किये गये थे वे "सी" फॉर्म्स बिहार राज्य से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार मिथ्या व कूटरचित थे। व्यवसायी का यह दायित्व है कि वह उसके द्वारा की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री जिस पर वह 2 प्रतिशत की छूट चाहता है, के संबंध में सही (genuine) "सी" फॉर्म्स सही पेश करे, परन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। व्यवसायी को दिये गये प्रथम नोटिस के साथ यह भी बता दिया गया था कि कौन–कौन से फॉर्म्स मिथ्या व कूटरचित हैं चूंकि जांच रिपोर्ट बिहार राज्य के दस्तावेजों से तैयार की गई थी, अतः प्रामाणिक थी, इसलिए क्रेता व्यवसायी से जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा न ही राज्य की सीमावर्ती चैकपोस्ट से कोई जांच किये जाने की आवश्यकता थी। चूंकि विवादित मामलों में प्रस्तुत घोषणा पत्र फर्जी एवं बोगस पाये गये, जिन्हें कोई विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती है। अतः व्यवसायी के विरूद्ध आरोपित अन्तर कर एवं अनुवर्ती ब्याज यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं गयी है। फलतः अन्तर कर एवं ब्याज के बिन्दुओं पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
9. जहां तक शास्ति का प्रश्न है अपीलीय अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि व्यवसायी द्वारा जो भी संव्यवहार किये गये थे, उन्हें नियमित रूप से लेखा–पुस्तकों में रेखांकित किया गया है। साथ ही त्रैमासिक विवरण पत्रों में उन बिक्रियों की घोषणा करते हुए बिक्रियों को दर्शा दिया गया था। इस तरह किसी भी तरह का संव्यवहार छिपाया जाना प्रमाणित नहीं होने से वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01** में यह विधि स्थापित की गयी है कि संव्यवहारों के लेखा–पुस्तकों में एवं विवरण पत्रों में दर्शाये जाने की स्थिति में शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में समान मामलों में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 1361/2015/भरतपुर सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स डी.आर.ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर**

निरन्तर.....4

निर्णय दिनांक 17.02.2017 में तथा अपील संख्या 720/2011/भरतपुर एवं अन्य **मैसर्स टाटा श्री भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015** में यह निर्णीत किया जा चुका है कि फर्जी या बोगस 'सी' फॉर्म पर कर एवं ब्याज आरोपणीय है परन्तु शास्ति का आरोपण अविधिक है।

10. फलतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश एवं माननीय कर बोर्ड के आदेशों के आलोक में आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपीलें आंशिक स्वीकारते हुए कर व ब्याज के बिन्दुओं पर अस्वीकार की जाती है एवं शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के. एल.जैन)
सदस्य